205

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व निगरानी क्रमांक /2016 निग - 656 - II - 16

1. राम प्रसाद तनय मनुवा बसोर
2. रामकिशोर तनय मनुबा बसोर समस्त

निवासीचन्दला तहसील चन्दला,

जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदकगण

बनाम

1. गुरूआ तनय परदिसिया बसोर

निवासी चन्दला तहसील चन्दला,

जिला छतरपुर (म.प्र.)

2. सन्तोष तनय श्यामलाल
3. सुदामा तनय श्यामलाल
4. विद्या बेवा श्यामलाल समस्त

निवासी टौरिया मौहल्ला वार्ड क्रमांक 5,

छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० भू० रा० सं० न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय लवकुश नगर के अपील क्रमांक 164/13–14 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2015 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

आवेदकगण सादर निम्न लिखित विनय सादर प्रस्तुत करते है :–

1. यहकि, भूमि खसरा नम्बर 2969/2, रकवा 0.405 हैक्टयर स्थित मौजा चन्दला, तहसील लोडी की भूमि आवेदकगणों के पिता मनुबा बसोर के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है तथा भूमि पर आवेदकगण का एवं अनावेदक क्र. 2, 3, 4 का समान हक व हिस्सा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-656-दो/2016 जिला छतरपुर रामप्रसाद विरूद्ध गुरूआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 164/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 22-12-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य	18/2/2019